सं0- 25/2016/596/62-2-2016-2/3(35)/2013टी0सी0

प्रेषक,

डा0 प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनउ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 28 मार्च,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुढढ़ीकरण/निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-307/ल0सिं0/बजट-बी0के0 टी0/2013-14, दिनांक 03.02.2016 तथा पत्र सं0-जी-326/ल0सिं0/बजट-बी0के0 टी0/2013-14, दिनांक 24.02.2016 व वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10.6.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश सं0-754/62-2-2014-2/3(35)/2013, दिनांक 10.03.2015 द्वारा धनराशि रू0-67.90 लाख् प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी, तत्क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के अनुदान सं0-13 के अधीन लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन के सुढढ़ीकरण/निर्माण हेतु (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि रू0-135.80 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-7827/ 62-2-2015-2/3(35)/2013टीसी, दिनांक 21.11.2015 धनराशि रू0-68.37 लाख (रूपया अरसठ लाख सैतीस हजार मात्र) इस प्रकार (पूर्व स्वीकृत आगणन रू0-170.34 लाख के सापेक्ष प्रथम व द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-136.27 लाख को घटाते हुए) स्वीकृत आगणन की 20 प्रतिशत की धनराशि रू0-34.07 लाख को तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त करते हुए शासनादेश सं0-7827/62-2-2015-2/3(35)/2013टीसी, दिनांक 21.11.2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-10-लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुढढ़ीकरण/निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-03-2015 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10-06-2011 में दी गयी व्यवस्थानुसार जारी किया जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-25/2016/596(1)/62-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान,बी0के0टी0, लखनऊ।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11- एन0आई0सी0 की प्रति।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।